न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारी:– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या : 78/2020

निर्णय

बउनवान:–

हरिओम पुत्र श्री जोधराज जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

...प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0 वास्ते नाम दुरूस्ती

वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड

दायरा दिनांक: 03.09.2020

निर्णय दिनांक : 27.08.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 367 खसरा नं0 948 रकबा 1.55 है0 वाके ग्राम तिसाया तह0 मांगरोल में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2076 में हिस्सा 1/15 वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। किन्तु जमाबंदी में सहवन से वादी का नाम हरिओम के स्थान पर ओम प्रकाश दर्ज कर दिया है। जबकि वादी का वास्तविक नाम हरिओम पुत्र जोधराज है। वादी के अन्य दस्तावेजो मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड में भी वादी का नाम हरिओम पुत्र जोधराज दर्ज है। इसलिए वादी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 367 में अपना नाम ओम प्रकाश पुत्र जोधराज के स्थान पर हरिओम पुत्र जोधराज दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है। इसलिए वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः ग्राम तिसाया की आराजी खाता संख्या 367 खसरा नं0 948 रकबा 1.55 है0 के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम ओम प्रकाश के स्थान पर हरिओम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 03.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/510 दिनांक 15.10.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम तिसाया की आराजी खाता संख्या 81 में मृतक जोधराज के स्थान पर तीर्थराज, ओमप्रकाश, भूपेन्द्र पुत्र मोहनीबाई बेवा जोधराज व सेग्रगेशन जमाबंदी

...ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned with CamScanner

सम्वत 2075–78 में खाता संख्या 367 पर ओम प्रकाश पुत्र जोधराज हिस्सा 1/15 के स्थान पर सही नाम हरिओम पुत्र जोधराज का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की दिनांक 27.08.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आदि से भी वादी का सही हरिओम होना जाहिर होता है। दस्तावेजात के पक्ष में गवाह वादी स्वयं व रामबिलास पुत्र देवीलाल जाति मीणा निवासी तिसाया तह0 मांगरोल के बयान करवाये गयें। जो शामिल पत्रावली है। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 27.08.2021 को अधिवक्ता वादी की सुनी गयी बहस के आधार पर आराजी ग्राम तिसाया की आराजी खाता संख्या 367 खसरा नं0 948 रकबा 1.55 है0 की राजस्व जमाबंदी में वादी का नाम ओम प्रकाश के स्थान पर हरिओम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी मांगरोल
मांगरोल जिला बारां (राज०)